न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री जे.पी. बैरवा, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 25/2018

वादीगण	बनाम	प्रतिवादी
1. चनणा पुत्र लाला जाति रेगर निवासी आसरलाई तहसील जैतारण जिला पाली (राज.)		1. तिलाराम पुत्र प्रभूराम 2. राजुराम पुत्र तिलाराम जातियान–जाट, निवासी–आसरलाई तहसील–जैतारण, जिला–पाली 3. तहसीलदार जैतारण जिला पाली

राजस्व वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 **तारीख रजू:.23/01/2018**

- उपस्थितः. 1. श्री देवाराम कटारिया अधिवक्ता, वादीगण।
  2. श्री रामस्वरूप चौधरी अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः– 26/03/2018**

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरुद्ध प्रतिवादी इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि राजस्व मौजा आसरलाई पटवार हल्का आसरलाई तहसील जैतारण जिला पाली राज. में वादी की कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 243 रकबा 26 बीघा 05 बिस्वा आई हुई है जिस पर वादी का व उसके परिवार का कब्जा काश्त है। वादी गरीब अनुसूचित जाति का व्यक्ति है तथा अपने ही गांव के जयराम कुम्हार से कुछ रूपये उधार लिये थे व उसके बाद वादी ने उक्त रूपये पुनः वापिस लौटा दिये तथा उसके बाद वादी ने मय ब्याज वापिस दे दिये तथा उसने असल स्टाम्प लिखावटी फाड़ने का कहकर हिसाब नकी कर दिया। प्रतिवादीगण जो कि उच्च जाति के व्यक्ति है व झगड़ालू प्रवृति का व्यक्ति है दिनांक 21.01.2015 को एक राय होकर हाथों में लाठिया लकड़ियां लेकर आये व वादी व उसके परिवार को ऐलानिया धमकी दी कि हम तुम्हें कब्जे से बेदखल कर देगें। तथा मैने उक्त जमीन जयराम से खरीदी है व मेरे पास जयराम की लिखावटी है जबकि उक्त भूमि का एक मात्र मालिक खातेदार काबिज काश्तकार वादी है प्रतिवादीगण का उक्त जमीन से कोई लेना देना नही है। व जबरन अनुसुचित जाति के गरीब व्यक्ति को देखकर कब्जे काश्त में दखलन्दाजी कर रहा है व ऐलानिया धमकी दे रहा है जबरन मौका पाकर वादी की जमीन पर रात्रि में कब्जा कर लेंगे व वादी व उसके परिवार के सदस्यों को जान से खत्म कर देंगे जबकि उन्हे ऐसा करने का कोई कानूनी हक अधिकार नही है। उक्त भूमि का एक मात्र खातेदार काबिज काश्तकार वादी व उसका परिवार है वादी वृद्ध गरीब अनुसूचित जाति का व्यक्ति है ताकत के बल पर प्रतिवादीगण जो कि उच्च जाति व धनबल व जनबल से ताकतवर व्यक्ति है उसे मुकाबला करने में असमर्थ है वादी को अपनी आराजी कृषि भूमि दखलन्दाजी नही करने व दखलन्दाजी करने से रूकवाने का वादी कानूनी अधिकारी है। इसलिए अन्य कोई विकल्प शेष नही रहने से यह वाद पत्र बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा का श्रीमन्

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

के समक्ष पेश है। बिनाय दावा दिनांक 21.01.2016 को प्रतिवादी संख्या एक व दो द्वारा जमीन पर जबरन कब्जा करने की ऐलानिया धमकी देने व कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने एवं वादी को कब्जे से बेदखल करने की एवं वादी के कब्जे उपयोग उपभोग में बाधा अडचन पैदा करने की धमकी देने पर मौजा आसरलाई में पैदा हुआ जो श्रीमान् के क्षैत्राधिकार में है जो अन्दर म्याद श्रीमान् के समक्ष पेश है प्रतिवादी संख्या तीन लैण्ड होल्डर तहसीलदार है जिसे फोरमल पक्षकार बनाया गया है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 व 2 की ओर से वकालत नामा पेश हुआ शामिल मिसल किया गया। वकील मय वादी एवं वकील मय प्रतिवादीगण ने एक तहरीरी राजीनामा पेश किया जिसे पृथ्क से तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया गया। राजीनामा में जाहिर किया गया कि वादी एवं प्रतिवादी के बीच राजीनामा हो गया है आपसी लेनदेन का हिसाब चुकता कर तीन लाख रूपये प्रतिवादी को दे दिया है । प्रतिवादी का अब उक्त भूमि पर कोई हक हिस्सा अधिकार नहीं है। प्रतिवादी व उसका परिवार अब उक्त भूमि के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नही करेंगे। कब्जा काश्त व हक अधिकार वादी का रहेगा। वादी के पक्ष में डिक्री फरमावें।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद-पत्र मय शपथ-पत्र, दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। वादी राजस्व अभिलेख में खातेदार काश्तकार दर्ज हैं। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाना उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः माफिक राजीनामा डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि राजस्व मौजा आसरलाई पटवार हल्का आसरलाई तहसील जैतारण जिला पाली राज. में वादी की कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 243 रकबा 26 बीघा 05 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल में वादी के हिस्से की भूमि में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सा0मि0 किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/ लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 26/03/2018 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

Scanned by CamScanner